

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(252) ग्रावि/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22

जयपुर, दि 19 अक्टूबर 2022

स्थायी आदेश संख्या 39/2022

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 27 (79) ग्रावि/अनु-5/ जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.14 के क्रम में जारी स्थाई आदेश संख्या 22/2015 दिनांक 27.11.15 के द्वारा शिड्यूल ऑफ पावर्स तालिका - 1 में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों में विभागीय स्थाई आदेश संख्या 26/2016 दिनांक 6.4.2016 द्वारा संशोधन किया गया है। जिसको पुनः स्थायी आदेश संख्या 37/2021 दिनांक 01.10.2021 द्वारा संशोधन किया गया है, इसी क्रम में ग्राम पंचायतों के लिए प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

परिशिष्ट - 1 प्रशासनिक स्वीकृति

क्र.सं.	कार्य /आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/ समिति जिसको शक्तियां निहित हैं	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रु. में)		शर्तें / टिप्पणीयां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव मरम्मत	
1-अ	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	10.00 लाख तक (यथावत)	1.00 लाख तक	शर्तें / टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 13 यथावत लागू होगी

परिशिष्ट - 2 वित्तीय स्वीकृति (संशोधित सहित)

क्र.सं.	कार्य /आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/ समिति जिसको शक्तियां निहित हैं	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रु. में)		शर्तें / टिप्पणीयां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव मरम्मत	
1-अ	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	10.00 लाख तक (यथावत)	1.00 लाख तक	शर्तें / टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 10 यथावत लागू होगी

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

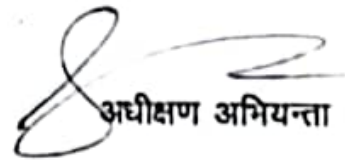
(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग, ग्रावि एवं पंरावि, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी)।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जयपुर।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रा.वि. एवं पं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाधी अभियंता, ईजीएस/अभि./जल संसाधन, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)